निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)
(सं0 पटना 502) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
17 फरवरी 2021

I(E 5 u0fo0@xBu&32@2020&614/uEfoE ,0 vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सुपौल जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4287 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
01	नगर पंचायत पिपरा	मकरोय–244 पिपरा–242	पिपरा (पूर्ण भाग)	उत्तर– वसूली–262, सिहरौल–253 महेशपुर–255, जिवछपुर–254 दक्षिण–अमहा–238 पूरब–लक्ष्मीपुर–241, अतलखा बेलही–243, सिमरिया (त्रिवेणीगंज अंचल)–264/2 पश्चिम–लक्ष्मदास चकला–252, ठाढ़ी–251, भवानीपुर–245, विसनपुर–246, देवीपट्टी–247	13537

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत पिपरा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj ds la;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 502-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in